

-: आदेश :-

निम्नांकित कार्मिकों को उनकी प्रार्थना पर इनके नाम के सम्मुख अंकित पंचम श्रेणी राजकीय आवास इनके निवास हेतु निम्न शर्तों के आधार पर प्रथम परिवर्तन के अन्तर्गत रिक्त होने की प्रत्याशा में पारस्परिक परिवर्तन किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम आवंटी	वर्तमान आवास	परिवर्तित आवास	सेवानिवृति तिथि
1.	श्री मोहित कुमार शर्मा, लिपिक ग्रेड-I, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	5-सी-21, बहुमंजिला, गांधीनगर	जीएडी/5/टी-1/83, विद्याधर नगर	31.10.2058
2.	सुश्री सुप्रिया, लिपिक ग्रेड-I, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	जीएडी/5/टी-1/83, विद्याधर नगर	5-सी-21, बहुमंजिला, गांधीनगर	30.04.2056

शर्तें :-

- आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में कोई निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
- सुश्री सुप्रिया से कॉमन सुविधा राशि रुपये 75/- सीधे ही इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड)
वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- जिला कलक्टर, जयपुर।
- उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
- अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर/ विद्याधर नगर जयपुर
- अधिशाषी अभियंता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल/ विद्याधर नगर, जयपुर।
- सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर जयपुर/ पुलिस अकादमी परिसर पानीपेच, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
- संबंधित आवंटीगण को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
- निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
- रक्षित पत्रावली।



वरिष्ठ उप शासन सचिव